रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012023-241814
CG-DL-E-09012023-241814

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/पौष 19, 1944
No. 126] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

<u>सं. 53 / 2015–2020</u>

विषयः विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीइपी समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन–के संबंध में।

का.आ. 133(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 16.01.2023 से किए जाने वाले निर्यात के लिए विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 4.59 के अंतर्गत संशोधित परिशिष्ट 4द को अधिसूचित करती है। 432 एचएस कोडों में ये संशोधन डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 19 दिनांक 17.08.2021 के तहत पूर्व में अधिसूचित दरों/अधिकतम सीमा में प्रकट रुप से पाई गई त्रुटियों अथवा विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों के कारण किए जा रहे हैं।

2. संशोधित परिशिष्ट 4द 16.01.2023 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात पर लागू होगा। स्कीम के बजटीय ढांचे का अनुपालन करने के लिए एफटीपी 2015–20 के पैरा 4.54 के अनुसार आवश्यक परिवर्तन और संशोधन तत्पश्चात किए जाएंगे।

3. संशोधित आरओडीटीईपी परिशिष्ट 4द जिसमें पात्र आरओडीटीईपी निर्यात मदें, दरें और प्रति इकाई अधिकतम मूल्य सीमा शामिल है, डीजीएफटी पोर्टल www.dgft.gov.in पर 'रेग्यूलेटरी अपडेट्स> आरओडीटीईपी' लिंक के तहत उपलब्ध हैं।

इस अधिसूचना का प्रभावः पूर्व में अधिसूचित आरओडीटीईपी दरों/अधिकतम सीमा में 432 एचएस कोडों में प्रकट रुप से पाई गई त्रुटियों और विसंगतियों के संबंध में आरओडीटीईपी समिति द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों को शामिल करने के बाद, संशोधित परिशिष्ट 4द को अधिसूचित किया जा रहा है और यह 16.01.2023 से 30.09.2023 तक किए जाने वाले निर्यात के लिए लागू होगा।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम–21/पीसी–3]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREWIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2023

No. 53 /2015-2020

Subject: Implementation of RoDTEP Committee report in relation to Anomalies etc –reg

S.O. 133(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby notifies a revised Appendix 4R under Para 4.59 of Foreign Trade Policy, 2015-20 for exports made from 16.01.2023. These revisions in 432 HS codes are being made on account of recommendations of the RoDTEP Committee in relation to apparent errors or anomalies in the earlier notified rates/caps made vide DGFT Notification no.19 dated 17.08.2021.

2. The revised Appendix 4R will be applicable for exports made from 16.01.2023 to 30.09.2023. To adhere to the Scheme budgetary framework, necessary changes and revisions as per Para 4.54 of FTP 2015-20 will be made thereafter.

3. The revised RoDTEP Appendix 4R containing the eligible RoDTEP export items, rates and per unit value caps, is available at the DGFT portal www.dgft.gov.in under the link 'Regulatory Updates >RoDTEP'.

Effect of this Notification: The revised Appendix 4R, after incorporating changes recommended by the RoDTEP Committee in relation to apparent errors and anomalies in 432 HS Codes in the earlier notified RoDTEP rates/caps, is being notified and will be applicable for exports made from 16.01.2023 to 30.09.2023.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA